

बांज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी-कलियालिगुड-झीपा बैण्ड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण। (2.500किमी.) (1.485है०)

के वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु मेरे द्वारा दिनांक को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बांज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :-

क.सं.	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	अल्मोड़ा	बांज	3	1								4

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

तहसीलदार स्याल्द
जिला-अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उप जिलाधिकारी,
चिकित्सासेन (अल्मोड़ा)

ह०/-
वन संरक्षक
अल्मोड़ा

प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम :- विधानसभा सल्ट के अन्तर्गत देघाट-नागचूलाखाल से चन्थरखाडी-कलियालिगुड-झीपा बैण्ड हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।
(2.500किमी.) (1.485है०)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में ~~कोई~~ ⁴ बांज के वृक्ष प्रभावित होते हैं।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशर्मा अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत